

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक 8(38)राज/वाद/19


जयपुर दिनांक ०७-०१-२०२१

:: आदेश ::

विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.10.2020 द्वारा वर्तमान में कार्यरत विशेष न्यायालय(विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012) जयपुर को विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्र०सं० 4, जयपुर एवं विशेष न्यायालय (विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012) जोधपुर को विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्र०सं० 2, जोधपुर के रूप में परिवर्तित किये जाने के कारण विभागीय आदेश दिनांक 12.07.19 द्वारा सृजित अधिवक्ता संवर्ग के 02 विशिष्ट लोक अभियोजक(विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012) जयपुर/जोधपुर, 02 शीघ्र लिपिक, 02 लिपिक ग्रेड-11, एवं 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद एतद्वारा समाप्त किये जाते हैं।


यह स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी सं० 102005379 दिनांक 01.01.21 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

आज्ञा से,

  
(हुकम सिंह राजपुरोहित)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेषाधिकारी (जीएसवाई) माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर/जयपुर।
5. विशिष्ट शासन सचिव, गृह(ग्रुप-10) विभाग।
6. विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्र०सं० 4, जयपुर /विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्र०सं० 2, जोधपुर जिला।
7. कलक्टर, जोधपुर/जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
9. कोषाधिकारी, जोधपुर/जयपुर।
10. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
11. सहायक लेखाधिकारी प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
12. प्रोगामर विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

  
(हुकम सिंह राजपुरोहित)  
शासन सचिव, विधि